

हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा)

दिनांक: 23/04/2021

महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में समस्त छात्र-छात्राओं के लिए अग्रिम आदेशों तक महाविद्यालय बंद रहेगा। इस अवधि में समस्त कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी, अतः समस्त छात्र-छात्राएं अपने सम्बंधित विषय के प्राध्यापक से संपर्क करके ऑनलाइन कक्षाओं में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

प्राचार्य

हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय
सोमेश्वर (अल्मोड़ा)

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव
कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/प्रमारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0ए0ए0

देहरादून: दिनांक 22 अप्रैल, 2021

विषय- कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व में पारित आदेश संख्या-68/USDMA/792(2020) दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के कतिपय बिन्दुओं को निम्नवत् पढ़ा जाये :-

4. उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-05 में राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान-प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी बन्द रहेंगे। साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
5. उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-08 एवं 09 में राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के आवागमन एवं होम आईसोलेशन हेतु उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल <http://smartcitydehradun.uk.gov.in> पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
6. उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-07 में उल्लिखित उप बिन्दु संख्या- (a) से (e) तक यथावत रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं को और सम्मिलित किया जाता है:-
 - f) होम डिलीवरी सेवाओं में लगे कार्मिकों को आवाजाही की छूट रहेगी।
 - g) ऐसे छात्र-छात्रायें जो TOEFL/IELTS अथवा अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं में प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें आवागमन की छूट प्रदान की जायेगी। बशर्त, छात्र-छात्रायों को तदसम्बन्धित परीक्षा का एडमिट कार्ड व आई.डी. प्रूफ अपने साथ रखना अनिवार्य होगा।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव, कार्मिक

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंडत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्री परिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव, कार्मिक

पृ0सं0: 366

/विविध/2021-22

दिनांक: 23.04.2021

प्रतिलिपि: प्राचार्य, समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त पत्र के बिन्दु-4 के सापेक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आनलाईन शिक्षण कार्य महाविद्यालय के स्थान पर मुख्यालय से सम्पादित करें एवं मुख्यालय पर बने रहें।

(डॉ0 कुमकुम रौतेला)
निदेशक, उच्च शिक्षा